

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का. आ. सं.— 8/ज०स०(नि०) डाल.—04/13

राँची, दिनांक —

आदेश

श्री नवल कुमार सहायक अभियंता (प्रावै.) (निलंबित), मुख्य अभियंता कार्यालय लघु सिंचाई राँची को शेखपुरा थाना काण्ड संख्या—285/1995 GR NO — 572/1996 तथा Session Case No —37/1997 में माननीय पीठासीन पदाधिकारी फास्ट्रैक कोर्ट मुंगेर के न्यायालय द्वारा U/S-302 IPC के तहत आजीवन कारावास एवं 2000/—रुपये दण्ड तथा U/S 27 Arms Act के तहत एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. श्री नवल कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष Cr.Appeal No — 99 Of 2004 (DB) दायर किये जाने पर पारित न्याय निर्णय दिनांक 21.07.2010 के द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय की चुनौती माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दी गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री कुमार को दिनांक 20.09.2013 को जमानत पर रिहा किया गया है। उक्त प्रसंगाधीन मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दण्ड को स्थगित नहीं किया गया है।

3. उपरोक्त मामले पर विभाग द्वारा समीक्षा की गई तथा सम्यक समीक्षोपरांत बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 170 (a) एवं (b) तथा नियम 166 (i) एवं (ii) के आलोक में श्री नवल कुमार, सहायक अभियंता (निलंबित) को सेवा से बर्खास्त किये जाने के विषय पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग राँची की सहमति हेतु अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा बर्खास्तगी का दण्ड देने के प्रस्ताव पर सहमति इस शर्त के साथ दी गई कि यह सहमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

4. उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचोरोपरान्त श्री नवल कुमार सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध थाना काण्ड संख्या 285/1995 तथा Session Case —37/1997 में माननीय पीठासीन पदाधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट मुंगेर न्यायालय द्वारा U/S-302 IPC के तहत आजीवन कारावास एवं 2000/—रुपये दण्ड तथा U/S 27 Arms Act के तहत एक वर्ष कारावास की सजा सुनाये जाने की स्थिति में बोर्ड प्राकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 170 (a) एवं (b) तथा नियम 166 (i) एवं (ii) में निहित प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा श्री कुमार को निम्न दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है —

(i) सेवा से बर्खास्त।

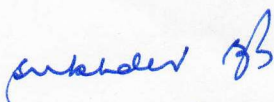
5. प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/—

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

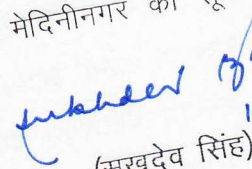

11/3/14

ज्ञापांक - 1684

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राँची, दिनांक - 14-03-16

प्रतिलिपि - महालेखाकार, (ले० एवं हक०) झारखण्ड राँची/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार
डोरण्डा एवं प्रोजेक्शन राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/श्री नवल कुमार सहायक अभियंता
(प्रावै०) (निलंबित)/मुख्य अभियंता कार्यालय लघु सिंचाई राँची/मुख्य अभियंता मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं


(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव